

:- अधिसूचना :-

उत्तराखण्ड शासन, न्याय अनुभाग- संख्या ३-सात-जे/xxxvi(2)2009-01-सात-जे/ 2009 देहरादून: दिनांक ११ दिसम्बर, २०१९ से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा ११ की उपधारा (१) तथा ४० की उपधारा (४) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-१९ के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक परियोजना अर्थात् तहसील गरूड जिला बागेश्वर में सिविल जज (जू०डि०) गरूड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, उक्त अधिनियम की धारा-१९ के अधीन बागेश्वर के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

२- राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आवश्यक है, इस लिए वे उक्त अधिनियम की धारा-१७ की उपधारा (१) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा-२३ के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है। बागेश्वर के कलेक्टर धारा-२१ की उपधारा (१) में उल्लिखित नोटिश के प्रकाशन से १५ दिन व्यतीत हो जाने पर उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कृषि योग्य है, कब्जा सकते हैं। निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित करते हैं:-

- अनुसूची-

जिला	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है०)
१	२	३	४	५
बागेश्वर	गरूड	पुरुडा	२८१८	०.०३५
			२८१९	०.०११
			२८२१	०.०२१
			२८२३	०.०१९
			२८२४	०.०१६
			२८२५	०.०३६
			२८२७	०.०२३
			२८२८	०.०२८
			२८३०	०.०१४
		योग		०.२०३

किस प्रयोजन के लिए आवश्यक है:- ग्राम पुरुडा, परगना-गरूड, तहसील गरूड एवं जिला-बागेश्वर में सिविल जज (जू०डि०) गरूड के न्यायालय भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए।

टिप्पणी- उक्त भूमि के स्थल नक्शे (साईट प्लान) हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिला अधिकारी, कार्यालय बागेश्वर में निरीक्षण किया जा सकता है।

ह०/-
(प्रेम सिंह खिमाल)
सांचव ।

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा सह बागेश्वर।

प्रतिलिपि:

- १- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की विज्ञप्ति सूचना को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
अल्मोडा सह बागेश्वर।